आवश्यक/समयबद्ध

संख्या: 65/2022/2199056/1392012/12-2099/111/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 सितम्बर, 2022

विषय: भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे ''मेरी पॉलिसी मेरे हाथ'' अभियान के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों को फसल बीमा पॉलिसी वितरित कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (क्रेडिट डिवीजन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 15016-1/1/2020-Cr.-II-P-III (FTS-108911), दिनांक 22 अगस्त, 2022 की संलग्न प्रति का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव भारत@75 अभियान के एक भाग के रूप में खरीफ 2022 मौसम में भारत सरकार द्वारा ''मेरी पॉलिसी मेरे हाथ'' अभियान के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के अन्तर्गत प्रत्येक बीमित कृषक को फसल बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराए जाने से सम्बन्धित है।

2. भारत सरकार की मंशा के अनुरूप उक्त अभियान के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों को आयोजित कराया जाना है:-

(1) भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार फसल बीमा पालिसी का वितरण ''मेरी पालिसी, मेरे हाथ'' कार्यक्रम में अन्तर्गत दिनांक 05 सितम्बर, 2022 से दिनांक 25 सितम्बर, 2022 के मध्य अभियान चलाकर किया जायेगा।

(2) बीमा पालिसी ऋणी और गैर ऋणी सभी बीमित कृषकों को वितरित की जायेगी।

(3) अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर, जनपद स्तर व तहसील स्तर पर कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

(4) राज्य स्तर के कार्यक्रमों में मा0 कृषि मंत्री/मा0 कृषि राज्यमंत्री एवं जनपद तथा तहसील स्तर के कार्यक्रमों में मा0 सांसद/मा0 विधायक/स्थानीय जनप्रतिनिधि/जिलाधिकारी व अन्य जनपदीय अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रत्येक कैम्प में कम से कम 100 कृषकों को पालिसी वितरित की जायेगी। कृषकों के मध्य पालिसी का वितरण यथासम्भव मा0 जनप्रतिनिधियों/जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा।

(6) अभियान अवधि के दौरान वितरित पालिसियों के अतिरिक्त अवशेष कृषकों को पालिसी डाक के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

(7) योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिन्ट, डिजिटल, टी0वी0, डी0टी0एच0, रेडियो, स्थानीय समाचार पत्र आदि के माध्यम से किया जायेगा।

(8) प्रत्येक कैम्प में बीमा कम्पनियाँ, बैंक, कामन सर्विस सेन्टर, जिला स्तरीय मानीटरिंग कमेटी के सदस्य, कृषि विभाग व उद्यान विभाग के अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी भाग लेंगे।

(9) अभियान के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों द्वारा कैम्पों एवं कामन सर्विस सेन्टर पर बैनर, पोस्टर एवं पर्याप्त संख्या में प्रचार-प्रसार सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक प्रचार सामग्री/बैनर/पोस्टर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मस्कट का प्रयोग अवश्य किया जाएगा।

(10) बीमा कम्पनियाँ जनपदीय उप कृषि निदेशक से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद स्तरीय कार्यक्रमों का निर्धारण कर क्रियान्वित करेंगी। कैम्प में प्रतिभागी कृषकों को योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी एवं पालिसी वितरण किया जायेगा।

(11) यह सुनिश्चित किया जाय कि सोशल मीडिया पर अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।

(12) अभियान पूरा होने के पश्चात बीमा कम्पनियों द्वारा अभियान अवधि के दौरान की गई गतिविधियों और अभियान में सम्मिलित कुल किसानों सहित उनकी उपलब्धियों आदि की जनपदवार सूचना भारत सरकार/प्रदेश सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

3. अत: आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार '' मेरी पालिसी मेरे हाथ'' अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों को फसल बीमा पालिसी वितरित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 65/2022/2199056(1)/1392012/12-2099/111/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एफ0एफ0बी0वाई0, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
7. महाप्रबंधक/प्रबंधक, समस्त व्यवसायिक बैंक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला अग्रणी बैंक, उत्तर प्रदेश।
12. राज्य प्रबंधक, कामन सर्विस सेन्टर, लखनऊ।
13. उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त बीमा कम्पनियॉ।
14. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
15. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
16. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।